→ 14·4(1)

:: कार्यालय पुलिस अधीक्षक जिला बडवानी (म०प्र०) :: 10

क्रमांक / पुअ / बड / शिका / 19 वीएसबी / 10 दिनांक : 11 / 03 / 10

प्रति,

सहायक निदेशक
राष्ट्रीय अनुसूचित जन जाति आयोग
अरेरा हिल्स भोपाल

विषय :— बंधक बनाकर दुष्कर्म, युवती ने आग लगाई पत्रिका समाचार पत्र भोपाल संस्करण में दिनांक 08.02.10 को प्रकाशित समाचार।

संदर्भ :— आपका पत्र कमांक / नोटिस संख्या / एन.पी.सी. / 3102 / बडवानी / म.प्र. / 1 / 10 / जी.आर. दिनांक 08.02.10

===⊛===

विषयांकित एवं संदर्भित समाचार पत्र में उल्लेखित घटना के संबंध में उप पुलिस अधीक्षक अजाक, जिला बडवानी से जॉच प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। प्रतिवेदन की छायाप्रति अवलोकनार्थ संलग्न है। उपरोक्त घटित घटना के संबंध में आरोपी अमित पिता दुर्गाप्रसाद दुबे निवासी बडवानी के विरूद्ध अपराध कमांक 48 / 10 धारा 363, 376, 306, 307, 511 भादवि एवं 3(2), 5 अजा / अजजा एक्ट का प्रकरण कायम किया जाकर आरोपी को दिनांक 10.02.10 को गिरफ्तार किया जाकर न्यायालय आदेश से जेल दाखिल कराया गया है। उपरोक्त प्रकरण में पीडिता [redacted] जाति भील उम्र 19 साल निवासी आनन्द नगर बडवानी की ईलाज के दौरान दिनांक 20.02.10 को मृत्यु हो जाने पर प्रकरण में धारा 302 भादवि बढाई जाकर प्रकरण में अनुसंधान जारी है।

कृपया प्रतिवेदन प्रेषित है।

संलग्न — उपर्युक्तानुसार।

पुलिस अधीक्षक
जिला बडवानी

प्रतिलिपि —

1. श्री सरबजीतसिंह, सचिव, माननयी मुख्यमंत्री कार्यालय का पत्र कमांक / 89 / 555 / 10 दिनांक 05.02.10 के तारतम्य में कृपया सूचनार्थ।
2. अपर संचालक, आयुक्त अनुसूचित जाति विकास एवं नागरिक अधिकार संरक्षण प्रकोष्ठ मध्य प्रदेश भोपाल की ओर पत्र कमांक / प्रको / शिका / 2010 / 873 भोपाल दिनांक 09.02.10 के तारतम्य में कृपया सूचनार्थ।

पुलिस अधीक्षक
जिला बडवानी

कार्यालय निदेशक/Office of the Director
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes, Bhopal
डायरी संख्या/Diary No. 394
दिनांक/Date 7-4-10

कार्यालय उप पुलिस अधीक्षक (अ0जा0क0) जिला बड़वानी (मध्यप्रदेश)

कमॉक / उ.पु.अ. / अ.जा.क. / बड़वानी / 13 ... /2010 दिनॉक: 23 / 02 / 2010

प्रति,

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय,
कार्यालय जिला बड़वानी

विषय :— राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के प्रपत्र क. / एन.पी.सी. / 3102 / बड़वानी / म.प्र. / 1 / 10 जी.आर. दिनॉक 08.02.2010 के संबंध में ।

संदर्भ :— श्रीमान के पत्र क / पुअ. / बड़ / शिकायत / 19 विर. जशि / 10 दिनॉक 19.02.2010 के पालन में ।

::::::::::::::::00::::::::::::::::

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं सदर्भित पत्र के पालन में निवेदन है, कि घटना दिनॉक 05.02.2010 को पीड़िता [redacted] जाति भिल उम्र 19 साल निवासी आनंद नगर बड़वानी की ग्राम पारा जिला झाबुआ अनुपब्लिक फाउन्डेशन स्कुल से पढ़ाकर वापस बस स्टेण्ड बड़वानी पर 8:00 बजे बस से आई तो आरोपी अमित पिता कमलाप्रसाद दुबे अपने किराए के कुन्दन नगर बड़वानी स्थित कमरे में लेकर आया व पीड़िता के साथ आरोपी अमित दुबे द्वारा दिनॉक 05.02.2010 से 07.02.2010 तक जबरन शारीरिक संबंध (बलात्कार) बनाए। घटना दिनॉक 07.02.2010 को रात्री में पीड़िता के मोबाईल पर अन्य फोन आने की बात पर से विवाद कर आरोपी ने पीड़िता को घासलेट से भरी केन लाकर देकर मरने हेतु कहकर देने पर, पीड़िता द्वारा अपने पर घासलेट डालकर ली एवं आरोपी द्वारा माचिस की तीली जलाकर डाल दी, जिससे पीड़िता के दोनो पैर, दोनों हाथ, पेट एवं सीना आदि आग लगने से जल गया।

उक्त घटना के बाद में आरोपी अमित दुबे के द्वारा मोबाईल से (01) विजय पिता किशोर एवं (02) पावर पिता गोविन्द निवासीयान बड़वानी को घटनास्थल अपने कमरे पर बुलाया। वहॉ पर पीड़िता को आग से जली हुई हालत में मिलने पर उसे विजय एवं पावर के द्वारा मोटर साईकल से घटना स्थल से जिला अस्पताल बड़वानी में इलाज हेतु भर्ती किया गया ।

प्री.एम.एल.सी. जॉच पर से थाना बड़वानी के 48 / 10 धारा 366,376,306,307,511 भादवि एवं 3(2)5 Sc/St Act का कायम कर अनुसंधान में लिया गया। प्रकरण अ.जा. / अ.ज.जा. अधिनियम से संबंधित होने से प्रकरण की डायरी विवेचना हेतु अ.जा.क. बड़वानी को प्राप्त होने से प्रकरण की विवेचना मुझ तेरसिंह चौहान उप पुलिस अधीक्षक (अजाक) द्वारा की जा रही है।

प्रकरण में विवेचना के दौरान दिनॉक 07.02.2010 को आरोपी अमित पिता कमलाप्रसाद दुबे निवासी कालका माता रोड़ बड़वानी को गिरफ्तार किया गया एवं माननीय सी.जे. एम. न्यायालय, बड़वानी के समक्ष प्रस्तुत किया गया । माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को न्यायिक हिरासत में रखा गया है।

प्रकरण के अनुसंधान का प्रगति प्रतिवेदन निम्नानुसार है –

दिनॉक	विवेचक का नाम	अनुसंधान का विवरण
07.02.10	T.I. Sisodiya P.S. Barwani	करने पेश जॉच प्री. एम.एल.सी. क. 231/07.02.10 की प्र.आर. 127 द्वारा जिस पर से अपराध धारा 366,376,306,511 भादवि एवं 3(2)5 अजा/अजजा अधिनियम का आरोपी अमित दुबे के विरूद्ध पंजीबद्ध किया, भेजने स्पेशल रिर्पोट जरिये जावक क. 428 से 437 तक, भेजने एफ.आई.आर. काउन्टर न्यायालय जरिये क. 427 से, रवाना फोर्स आरोपी की तलाश हेतु कराने डी.डी. जख्मी [redacted] का कार्यपालिक मजिस्ट्रेट से करने वितंतु–संदेश एफ.एस.एल. यूनिट खंडवा/इंदौर फोटो प्राप्त घटनास्थल के एवं करने घटनास्थल सीलबंद, होने ज्ञात जख्मी का रेफर महामृत्युंजय हास्पीटल बड़वानी, भेजने डायरी अग्रिम विवेचना हेतु अ.जा.क. कार्यालय बड़वानी ।
07.02.10	D.S.P.-1 T.S. Chouhan A.J.K. Barwani	प्राप्त डायरी अवलोकन डायरी संलग्न प्रपत्रों का जारी पत्र एम.ओ.सी.एच.बड़वानी को वास्ते मेडिकल परीक्षण, पीड़ित [redacted] 16:35, निरीक्षण घटनास्थल, मुर्तिब घटनास्थल का नजरी नक्शा मौका, सील्ड घटनास्थल एफ.एस.एल. अधिकारी के घटनास्थल निरीक्षण हेतु, कथन [redacted] भिल के, कथन रेखा पिता सुभाष भिल के, कथन विजय पिता किशोर, कथन पावर पिता गोविन्द के. बढ़ाने धारा 307 भादवि। उपस्थित आरोपी अमित दुबे थाने पर कथन आरोपी अमित दुबे तैयार गिर. पंचनामा 21:00 बजे, देने सूचना गिर. आरोपी के भाई अभिशेख को, जप्ती मो. सा. एम.पी.–46–3011 । रवाना आरोपी अमित दुबे अस्पताल बड़वानी मेडिकल परीक्षण हेतु 21:40 बजे, प्राप्त मेडिकल रिपोर्ट जख्मी [redacted] का, भर्ती आरोपी अमित दुबे अस्प. बड़वानी में पुलिस सुरक्षा में विवेचना जारी है।
08.02.10	D.S.P.-1 T.S. Chouhan A.J.K. Barwani	न हो पाने पीड़िता के आंतरिक अंगों का परीक्षण देने पत्र प्रबंधक महामृत्युंजय हास्पीटल, बड़वानी को, स्वीकृत जे.आर. 19.02.10 तक, दाख्लि आरोपी जेल प्राप्त रसीद, जप्ती भौतिक साक्ष्य 1–अधजले कपड़े, 2–एक स्टोव्ह, 3–माचिस एवं तीली, एक प्लास्टिक की केन करीब 1/2 लीटर केरोसिन भरा 13:30 बजे, सुपूर्द जप्ती माल, प्र.आर. लेखक थाना अ.जा.क. बड़वानी को, रेफर [redacted] अग्रिम ईलाज हेतु 14:45 बजे, न हो पाने मेडिकल परीक्षण, पीड़िता [redacted] का 15:50 तैयार राहत प्रकरण विवेचना जारी है।
09.02.10	--,--	देने पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी बड़वानी को पीड़िता के मेडिकल परीक्षण बाबत, प्राप्त पत्र अस्पताल बड़वानी से न हो सकने मेडिकल परीक्षण पीड़िता अश्विनी का। विवेचना जारी।
13.02.10	--,--	होने व्यस्त व्ही.व्ही.आई.पी ड्यूटी मॉडव धार में दिनॉक 09.02.10 से 12.02.10 तक एवं उपुअ–2, अजय शर्मा होने व्यस्त दिनॉक 09.02.10 से 12.02.10 तक भोपाल सेमीनार में। प्राप्त सुपरवीजन रिपोर्ट श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, बड़वानी का, पीड़िता भर्ती चौईथराम हास्पीटल इंदौर में, भेजने पत्र टी.चोईथराम, अस्प. इंदौर मेडिकल परीक्षण हेतु पीड़िता अश्विनी का। रवाना आर.146 श्रीराम मेडिकल परीक्षण हेतु इंदौर, भेजने पत्र तहसीलदार बड़वानी को पीड़िता अश्विनी के जाति प्रमाण पत्र प्रदाय बावत। प्रकरण की विवेचना जारी है।

15.02.10	D.S.P.-2	

13

15.02.10	D.S.P.-2 Ajay Sharma A.J.K. Barwani	प्राप्त डायरी अग्रिम विवेचना हेतु, प्राप्त आपराधिक रिकार्ड आरोपी अमित दुबे का थाना बड़वानी से, जप्ती प्यूबिक हेयर, स्लाईड एवं नमूना सील, प्राप्त मेडिकल रिपोर्ट टी.चोईथराम अस्पताल इंदौर से। प्राप्त सुपरविजन रिपोर्ट अति0 पुलिस अधीक्षक महोदय,, पालन जारी, विवेचना जारी ।
16.02.10	D.S.P.-2 Ajay Sharma A.J.K. Barwani	प्राप्त मृत्यू पूर्व कथन पीड़िता अश्विनी का, कथन नवल किशोर खोटे निवासी कुन्द्रन नगर, कथन सुन्दरलाल राठौड़ पानवाड़ी बड़वानी का, तलाश साक्षियों की कुन्दन नगर नहीं मिले । विवेचना जारी है।
17.02.10	D.S.P.-2 Ajay Sharma A.J.K. Barwani	तलाश साक्षियों की कुन्दन नगर में अनभिज्ञता जाहिर किया। तलास साक्षियों की बस स्टेण्ड बड़वानी चर्चा मुखबीरों से विवेचना जारी है।
19.02.10	---,,---	बढ़ाने जे0आर0 तारीख 04.03.2010 तक, देने स्मरण पत्र तहसीलदार, तहसील बड़वानी को पीड़िता के जाति प्रमाण पत्र हेतु। चर्चा बस स्टंएड बड़वानी पर मुखबीरों से सफलता नहीं मिली । विवेचना जारी है।
23.02.10	D.S.P.-1 T.S. Chouhan A.J.K. Barwani	प्राप्त पत्र सहायक आयुक्त आदिवासी विकास बड़वानी स्वीकृत–5000/– रू. चिकित्सा सुविधा राशि स्वीकृति पत्र । तलाश स्वतंत्र साक्षी नहीं मिले विवेचना जारी है।
24.02.10	--"--	प्राप्त जाति प्रमाण पत्र पीड़िता [redacted] का तहसीलदार, बड़वानी से, होने जाति भिल अ.ज.जा. तलाश स्वतंत्र साक्षी आनंद नगर, कुन्दन नगर व करबा बड़वानी में नहीं मिले ।
25.02.10	---,,---	प्राप्त पत्र सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास बड़वानी से बताने करने भुगतान 15000/– रू. राहत राशि पीड़िता के परीजनों को। शेष करने जमा मासिक आय योजना अंतर्गत एफ.डी. पत्र शामिल डायरी। जप्ती आरोपी अमित दुबे का आर्टीकल्स जिला अस्पताल बड़वानी से प्राप्त होने पर। तलाश स्वतंत्र साक्षी करबा बड़वानी में नहीं मिले विवेचना जारी है।

प्रकरण में अनुसंधान जारी होकर शीघ्र चालानी कार्यावाही की जाकर चालान न्यायालय प्रस्तुत जावेगा ।

अतः प्रकरण के संबंध प्रतिवेदन सादर सेवा में अवलोकनार्थ प्रेषित है।

26-2-10

उप पुलिस अधीक्षक
(अजाक) जिला बड़वानी

(14)

फार्म नंबर 1

प्रथम सूचना प्रतिवेदन (धारा 154 द0 प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत)
FIRST INFORMATION REPORT (UNDER Sec. 154 Cr.P.C)

1. जिला बड़वानी थाना बड़वानी वर्ष 2010 प्र0सू0प0 क्रं0 48 दिनांक 7/2/2010
2. 1. विधान भादवि धाराएं 366, 376, 306, 511
   2. विधान धाराएं
   3. विधान धाराएं
   4. अन्य विधान एवं धाराएं 3(2), 5 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम
3. अ. संदर्भित रोजनामचा सान्हा क्रं0 अस्प. पुलिस चौकी 61/7.02.10 के 1.00 बजे
   ब. घटना का दिन शुक्रवार –रविवार दिनांक/समय 5/2/2010 के रात्रि 8.00 बजे से दिनांक 07.02.2010 के 12.45 बजे रात
   स. थाने पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक/समय 7/2/2010 11.35 बजे रो0सा0क्रं0
4. सूचना का प्रकार लिखित
5. घटना स्थल :
   अ. थाने से दिशा व दूरी 1 कि.मी पूर्व बीट नंबर. 1
   ब. घटना स्थल का पता आरोपी अमित दुबे का किराये का कमरा, कुन्दन नगर बडवानी
   स. घटना स्थल अन्य थाना क्षेत्राधिकार है तो थाना जिला
6. अभियोगी अथवा सूचनाकर्ता
   अभियोगी
   (अ) नाम विजय कुमार सिसोदिया
   (ब) पिता का नाम स्व.श्री बाबूलाल सिसोदिया
   (स) जन्मदिनांक/वर्ष 29/11/1954 (ड) राष्ट्रीयता भारतीय
   (द) पासपोर्ट नंबर जारी दिनांक जारी होने का स्थान
   पासपोर्ट विवरण
   (क) व्यवसाय शा0 नौकरी
   (ख) पता निरीक्षक थाना प्रभारी थाना बडवानी
7. आरोपी का पूर्ण विवरण
   अमित दुबे नि0 बडवानी
8. अभियोगी/सूचनाकर्ता द्वारा सूचना दिये जाने में विलम्ब का कारण
   प्रीएमएलसी जाँच उपरान्त
9. अपहृत/सम्बद्ध सम्पत्ति का पूर्ण विवरण
10. अपहृत/सम्बद्ध सम्पत्ति का कुल मूल्य
11. मर्ग/अकाल मृत्यु सूचना क्रमांक
12. प्रथम सूचना विवरण :

मैं पुलिस थाना बडवानी पर थाना प्रभारी के पद पर पदस्थ हुँ। आज जिला अस्पताल पुलिस चौकी बडवानी पर पदस्थ प्र.आर डालूराम क्र. 127 द्वारा जिला चिकित्सालय बडवानी से प्राप्त प्रीएमएलसी क्र. 231/07.02.10 रोजनामचा सान्हा 61/07.02.10 की जाँच की गई जिसका जाँच प्रतिवेदन मुझे प्रस्तुत किया गया जिसमें जख्मी [redacted] ने अपने कथन में बताया है कि मैं [redacted] रहती हुँ तथा ग्राम पारा जिला झाबुआँ में अनुपब्लिक फाउन्डेशन स्कुल में पढाने जाती हुँ। मैं परसो रात्रि 8.00 बजे पारा से बडवानी बस स्टेण्ड पर आयी जहाँ मुझे अमित दुबे बडवानी का मिला जो मुझे जबरन अपने साथ उसके कुन्दन नगर कमरे पर ले गया तथा मेरे साथ दो दिन तक जबरन शारीरिक संबंध बनाए तथा कल रात्रि 12.00 बजे मुझे अन्य मोबाईल आने से मुझसे बहस व माथापच्ची कर घासलेट से भरी केन लाकर मर जाने हेतु कहकर दी जिससे मैंने अपने शरीर पर घासलेट डालकर आग लगा ली जिससे

S.N.4(R)

—::कार्यालय कलेक्टर, जिला बड़वानी, म.प्र.::—

क्रमांक/शिकायत/2010/ 2949 बड़वानी, दिनांक 12 अप्रेल, 2010

प्रति,

अनुसंधान अधिकारी,
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग,
कमरा सं. 309, निर्माण सदन, सीजीओ बिल्डिंग,
52—ए, अरेरा हिल्स,
भोपाल, 462011

विषय :— "बंधक बनाकर दुष्कर्म, युवती ने आग लगाई" पत्रिका समाचार पत्र भोपाल संस्करण में दिनांक 8/2/2010 को प्रकाशित समाचार।

संदर्भ :— आपका नोटिस संख्याः एन.पी.सी./3102/बड़वानी/म.प्र./1/10 जी.आर. दिनांक 10/03/2010

—0—

कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा विषयांकित प्रकरण में एफ.आई.आर. की दिनांक, राहत राशि, चार्जशीट की दिनांक एवं प्रकरण की अद्यतन स्थिति की जानकारी चाही गई है। उक्त घटना के संबंध में पुलिस अधीक्षक, जिला बड़वानी ने उप पुलिस अधीक्षक, अजाक बड़वानी से बिन्दुवार प्रतिवेदन प्राप्त किया जाकर प्रस्तुत किया गया है। जिसकी छायाप्रति संलग्न है। उप पुलिस अधीक्षक, अजाक, बड़वानी के प्रतिवेदनानुसार प्रकरण में बिन्दुवार जानकारी निम्नानुसार है:—

1— **एफ.आई.आर. की दिनांक :—**

अजा/अजजा अधिनियम के अंतर्गत दिनांक 07/03/2010 को प्रकरण कायम किया जाकर अनुसंधान में लिया गया।

2— **राहत राशि :—**

प्रकरण में दिनांक 19/02/2010 को पीडिता [redacted] पिता सुभाष ~~चमका~~ भील के उचित उपचार हेतु चिकित्सा सुविधा राशि रूपये 5000/— एवं राहत राशि रूपये 25,000/— स्वीकृत किये गये। उपचार के दौरान पीड़िता की मृत्यु दिनांक 21/3/2010 को होने से पुनः अंतिम राहत राशि रूपये 1,25,000/— स्वीकृत किये गये। इस प्रकार प्रकरण में कुल 1,55,000/— रूपये स्वीकृत किये गये है।

3— **चार्जशीट :—**

प्रकरण का अनुसंधान पूर्ण कर चालान क. 63/10 दिनांक 18/3/2010 को प्रस्तुत किया गया ।

4— **प्रकरण की अद्यतन स्थिति :—**

प्रकरण का चालान सी.जी.एम. न्यायालय बडवानी में फौ.मू.न. 128/10

दिनांक 18/3/2010 से प्रस्तुत किया गया है। वर्तमान में प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।

(एन.बी.एस.राजपूत)
कलेक्टर,
जिला बड़वानी,म.प्र.

कार्यालय निदेशक/Office of the Director
राष्ट्रीय अनुसूचित ... भोपाल
National Commission ... Bhopal
डायरी संख्या/Diary No. 429
दिनांक/Date 19-4-10

19/4/10
33

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जिला बडवानी म0प्र0

क्रमांक:— पुअ / बड / शिका / [illegible] / 10 दिनांक: 02 / 04 / 10

प्रति,

कलेक्टर,

जिला बडवानी

विषय :— बंधक बनाकर दुष्कर्म युवती ने आग लगाई पत्रिका समाचार पत्र भोपाल संस्करण में दिनांक 08.02.10 को प्रकाशित समाचार पत्र के संबंध मे ।

संदर्भ :— आपका पत्र क्रमांक / शिकायत / अ.ज.आ. / 2010 / 2228 / 20102दिनांक 25.03.10

——00——

विषयाकिंत एवं संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करे उपरोक्त घटना के संबंध में उप पुलिस अधीक्षक आजक जिला बडवानी से बिन्दुवार प्रतिवेदन प्राप्त किया गया जो अवलोकनार्थ संलग्न है ।

उपरोक्त घटित प्रकरण के संबंध में अनुसंधान पूर्ण होकर प्रकरण का चालान सी.जे.एम. न्यायालय बडवानी में दिनांक 18.03.2003 को प्रस्तुत किया गया है जो न्यायालय मे विचाराधिन है, प्रतिवेदन प्रेषित है ।

संलग्न :— उपरोक्तानुसार

पुलिस अधीक्षक
जिला बडवानी

(18)

letter 2010/DSP/AJK/Barwani/M.P.

कार्यालय उप पुलिस अधीक्षक (अ0जा0क0) जिला बड़वानी (मध्यप्रदेश)

क्रमांक/उ.पु.अ./अ.जा.क./वरि.शि./बड़वानी/05/2010 दिनॉक: 28/03/2010

प्रति,

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय,
जिला बड़वानी (म0प्र0)

विषय :– "बंधक बनाकर दुष्कर्म युवती ने आग लगाई" पत्रिका समाचार पत्र भोपाल संस्करण में दिनॉक 08–02–2010 को प्रकाशित समाचार के संबंध में।

संदर्भ :– श्रीमान के/पत्र क./पुअ/बड़/शिका–19–सी वरि.शि./10 दिनॉक 25.03.2010 के पालन में।

::::::::::::::::00::::::::::::::::

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं सदर्भित पत्र के पालन में निवेदन है कि "बंधक बनाकर दुष्कर्म युवती ने आग लगाई" पत्रिका समाचार पत्र भोपाल संस्करण में दिनॉक 08–02–2010 को प्रकाशित समाचार के संबंध में बिन्दुवार जानकारी निम्नानुसार सादर सेवा में अवलोकनार्थ प्रेषित है –

01– एफ.आई.आर. दिनॉक :–

घटना की सूचना अस्पताल तेहरिर प्री.एम.एल.सी. जॉच पर थाना बड़वानी के अप.क. 48/10 धारा 366,376,306,307, बढ़ाने धारा 302 भादवि एवं 3(2)5 अजा/अजजा अधिनियम का दिनॉक 07.03.2010 को कायम किया जाकर अनुसंधान में लिया गया।

02– राहत राशि :–

प्रकरण में राहत राशि स्वीकृति हेतु जिला कलेक्टर महोदय, आदिवासी विकास बड़वानी की ओर इस कार्यालय के राहत प्रतिवेदन क./उपुअ/अजाक बड़वानी/02/10, दिनॉक–08.02.2010 प्रेषित किया गया, जिसके तहत् आदेश क./1142/10/आदिम/राहत/10 दिनॉक 19.02.10 द्वारा पीडिता [redacted] भील उम्र 19 वर्ष, निवासी आनंद नगर बड़वानी के उचित इलाज हेतु चिकित्सा सुविधा राशि : 5000/– रू. एवं राहत राशि 25000/– रू. स्वीकृत किये गये है।

प्रकरण में पीड़िता की मृत्यु दिनॉक 21.03.10 को दौराने इलाज होने पर पुनः अंतिम राहत प्रतिवेदन क. 2–बी/10 दिनॉक 19.03.2010 को प्रेषित किया गया, जिसके तहत् आदेश क./2253/10/आदिम/राहत/10 दिनॉक 26.03.10 द्वारा राहत राशि 125000/– रू. स्वीकृत किये गये। इस प्रकार प्रकरण में कुल 155000/– रू. स्वीकृत किये गये है।

03– चार्जशीट दिनॉक :–

प्रकरण का अनुसंधान पूर्ण कर चालान क. 63/10 दिनॉक 18.03.10 का कता किया गया।

04– प्रकरण की अद्यतन स्थिति :–

प्रकरण चालान माननीय सी.जे.एम. न्यायालय बड़वानी में फौ.मु.नं. 128/10 दिनॉक 18.03.10 को प्रस्तुत किया गया है, जो माननीय विशेष न्यायालय में कमिट होना शेष है।

उप पुलिस अधीक्षक
(अजाक) जिला बड़वानी